कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 1440 /14–1, दिनांकःअलीगढ़ःदिसम्बर 02 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों मार्ग किमी0 0.000 से 30.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में नानऊ से दादों मार्ग किमी0 1.610 से 16.090 तक प्रभावित 10.184 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भ– आपका पत्रांक 922 / अलीगढ़ / 14208 / 2015 / यूपी–197 दिनांक 26.10.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद अलीगढ़ में नानऊ से दादों मार्ग किमी0 0.000 से 30.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में नानऊ से दादों मार्ग किमी0 1.610 से 16.090 तक प्रभावित 10.184 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने कार्यालय पत्रांक 1672 / 14–10, दिनांकः 01.12.2016 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित पुनः तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

S.no.	Observation	Reply
1	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में मार्ग का समरेखण एवं प्रस्तावित व गैर वनभूमि के अलग–अलग रंगों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है।	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में मार्ग का समरेखण एवं प्रस्तावित व गैर वनभूमि के सम्बंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि नानऊ–दादों मोर्ग किमी0 0 से 30 तक चौड़ीकरण में नानऊ–दादों मार्ग किमी0 1.610 से 16.090 तक चौड़ीकरण में संरक्षित वनभूमि सम्मिलित है, जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है एवं किमी0 0.000 से 30.000 तक मार्ग लाल रंग सें दर्शाया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षों के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि कर समावेश करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षों के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश करते हुए प्राक्कलन संलग्न कर प्रषित है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन 20.368 है0 अवनत वनभूमि हेतु संलग्न किया गया है, किन्तु चयनित स्थल के डिजिटल मानचित्र का क्षेत्रफल 24.044 है0 अंकित है। ऐसे प्रकरण भारत सरकार के DSS Analysis में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर आपत्ति की जाती है। अतः सुसंगत डिजीटल मैप बनवाकर व उसकी सी0डी0 आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वनीकरण का Geo referenced Digital Map एवं टापोशीट क्षेत्रफल– 20.368 है0 हेतु संशोधित कर सी0डी0 सहित प्रेषित है।
4	ऑनलाइन पार्ट 2 में अंकित ईको–क्लास व वानस्पतिक घनत्व त्रुटिपूर्ण है।	ऑनलाइन पार्ट 2 में ईको–क्लास व वानस्पतिक घनत्व को संशोधित कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन पार्ट 2 में बिन्दु–14 District Profile में 07.07.2003 के स्थान पर अद्यावधिक स्थिति अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट 2 में बिन्दु सं0 14 District Profile में अद्यावधिक स्थिति के अनुसार दिनांक अंकित कर दी गयी है।
6	वन संरक्षक के पत्र में किमी0 1 से 30 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है, पृष्ठ 16 पर संलग्न अभिलेख में किमी0 1 से 30 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों व प्रमाण पत्रों में किमी0 1.610 से 16.090 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का उल्लेख अंकित है, जो विसंगतिपूर्ण है।	परियोजना में नानऊ–दादों मार्ग किमी0 0 से 30 का चौड़ीकरण सम्मिलित है। जिसमें नानऊ–दादों मार्ग किमी0 1.610 से 16.090 तक चौड़ीकरण में संरक्षित वनभूमि सम्मिलित है। तदनुसार प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख संशाधित कर दिये गये हैं।

7	प्रस्ताव के पृष्ठ–16 पर संलग्न अभिलेख के प्रस्तर–4 एवं पृष्ठ–38 व 39 पर संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना से विदित होता है कि परियोजना में गैर वनभूमि भी प्रभावित हो रही है, किन्तु उक्त गैर वनभूमि की गणना संलग्न नहीं की गयी है न ही ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1 (9), बी–2.1 से 2.4 में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। अंकित करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग चौडीकरण में गैर वनभूमि का प्रयोग सम्मिलित नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट 1 में संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है।
8	पृष्ठ–19 से 20 पर संलग्न परियोजना की स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना की लागत एवं ऑनलाइन पार्ट–1 में अंकित लागत में भिन्नता है।	परियोजना की स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना की लागत को ऑनलाइन पार्ट–1 में अंकित कर दिया गया।
9	उपरोक्त बिन्दु–4 के आलोक में ऑनलाइन पार्ट–2 में ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के संशोधन के उपरान्त पृष्ठ–60 पर एन0पी0वी0 की संशोधित गणना संलग्न करें।	बिन्दु–4 के आलोक में ऑनलाइन पार्ट–2 में ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के संशोधन के उपरान्त एन0पी0वी0 की गणना संशोधित कर प्रेषित है।
10	प्रस्तावित वनभूमि का डिजिटल मैप एवं सी0डी0 संलग्न नहीं है। प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित वनभूमि का डिजिटल मैप एवं सी0डी0 संलग्न कर दी गयी है।
11	प्रस्ताव के साथ संलग्न स्ट्रिप प्लान से विदित होता है कि मार्ग का कुल R.O.W. 20 मी0 है, विद्यमान मार्ग 12 मी0 चौड़ा है तथा चौड़ीकरण हेतु मार्ग के दानों ओर 4–4 मी0 वनभूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार मार्ग चौड़ीकरण के उपरांत वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वनभूमि अवशेष नही रह जाती, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के पृष्ठ–77 से 79 पर वृक्षारोपण योजना संलग्न किये जाने का क्या औचित्य है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि चौड़ीकरण के उपरांत प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर वनभूमि शेष नहीं रह जायेगी। तदनुसार प्रस्तावित वनभूमि के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण की परियोजना को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर) 12.16

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii